सं. 4/19/2017-दीपम-॥ए (भाग-II)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

एमएसटीसी लि. के सूचीकरण तथा घरेलू बाजार में "आरंभिक सार्वजनिक पेश" के माध्यम से भारत सरकार की 89.85% शेयरधारिता में से विनिवेश के लिए बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों की नियुक्ति - प्रस्तावों हेतु अनुरोध।

1. <u>प्रस्तावना</u>

1.1 एमएसटीसी की स्थापना 1964 में मुख्य तौर पर सरप्लस फेरस स्क्रेप के निर्यात को विनियमित करने के लिए की गई थी। 70 के दशक की शुरूआत तक भारत में स्क्रेप का उपयोग करने वाले उद्योगों में वृद्धि होने के कारण स्क्रेप का अभाव हो गया और एमएसटीसी की भूमिका फेरस स्क्रेप के आयात के लिए एक केनलाइजिंग एजेंसी के तौर पर सीमित हो गई। एक छोटी केनलाइज्ड एजेंसी से इसने स्वयं को एक व्यापार घराने और ई -कॉमर्स कंपनी में परिवर्तित किया। आज एमएसटीसी इस्पात और पेट्रो केमिक ल क्षेत्रों को कच्चे माल से संबंधित सहायता और विभिन्न पीएसयूस, केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रति एक नवीकरणीय दृष्टिकोण के साथ सुचारू ई-कॉमर्स सेवा प्रदान कर रहा है।

1.2 यह इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन श्रेणी-I, अनुसूची `ख` का एक मिनीरत्न सीपीएसई है।

1.3 कंपनी की अधिकृत शेयरपूंजी 50 करोड़ रुपये है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार एमएसटीसी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी 35.20 करोड़ रुपए है। 89.85% इक्विटी भारत सरकार के पास धारित है और शेष 10.15% स्टील फरनेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इस्पात इंडस्ट्रीज लि . के सदस्यों के पास धारित है। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है।

1.4 वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमएसटीसी का करोपरांत लाभ 72.09 करोड़ रुपए है और 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार इसका निवल मूल्य 560.28 करोड़ रुपए है।

1.5 सूचीकरण से एमएसटीसी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के एक हिस्से का सेबी के नियमों और विनियमों के अनुसार घरेलू बाजार में एक प्रोस्पेक्टस आधारित "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश " के माध्यम से विनिवेश किया जा सकेगा। विनिवेशित की जाने वाली प्रदत्त इक्विटी की प्रतिशतता प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली (एससीआरआर) के खंड 19 (2) के अनुसार प्रकलित कंपनी की निर्गम पश्चात पूंजी के आधार पर तय की जाएगी। सार्वजनिक पेशकश का एक हिस्सा कंपनी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। पात्र कर्मचारियों और खुदरा निवेशकों को शेयरों की पेशकश निर्गम मूल्य पर छूट (बाद में तय की जानी है) के साथ की जाएगी।

2. सरकार का निर्णय

2.1 दिशा निर्देशों (इन दस्तावेजों के पैरा 5) के अनुसार, उन प्रतिष्ठित श्रेणी-1 के मर्चेंट बैंकरों से, एकल रूप में या संघ के रूप में, प्रक्रिया में बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों के रूप में कार्य करने तथा सरकार को सहयोग करने और सलाह देने के लिए **03.05.2018 को 1500 बजे** तक प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो सेबी के पास पंजीकृत हों और जिनके पास वैध प्रमाण-पत्र हो और जिनके पास पूंजी बाजार में सार्वजनिक पेशकशों का अनुभव एवं विशेषज्ञता हो। सेबी के प्रमाण -पत्र का "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" से संबंधित सभी क्रियाकलापों की समाप्ति तक वैध रहना अपेक्षित है।

3. बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों (बीआरएलएमएस) के उत्तरदायित्व

3.1 बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, आईपीओ के सभी पहलुओं से जुड़े निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करना होगा, लेकिन ये कार्य यहीं तक सीमित नहीं होंगे :-

(i) "आईपीओ" की रूपरेखा, सेबी, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, स्टॉक एक्सचेंजों के वर्तमान ढांचे/दिशा-निर्देशों, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956; प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957; यथा संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उपर्युक्त विधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप तैयार करना।

(ii) उचित उद्यमिताकारी गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना तथा डीआरएचपी/आरएचपी/प्रॉस्पेक्टस तैयार करना एवं विनियामक/वैधानिक प्राधिकरणों की सभी निर्धारित आवश्यकताओं व औपचारिकताओं की पूर्ति करना।

(iii) सेबी/स्टॉक एक्सचेंज/आरओसी के पास डीआरएचपी/आरएचपी/प्रॉस्पेक्टस दायर करने का दायित्व लेना।

(iv) विनियामक मानकों पर सलाह देना तथा जहां आवश्यक हो, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, आरबीआई, एफआईपीबी आदि से अनुमोदन एवं छूट प्राप्त करने में सहयोग देना।

(v) विपणन-पूर्व सर्वेक्षण, घरेलू तथा प्रचार-प्रसार आयोजित करना ताकि संभावित निवेशकों में रूचि उत्पन्न की जा सके। मुख्य निवेशकों के साथ बैठक आयोजित करना, कंपनी की विकास संभावना के विषय में संसूचन को सुसाध्य बनाना तथा मुख्य विपणन विषय-वस्तु तथा कंपनी की स्थिति को उजागर करना।

(vi) बाजार अनुसंधान करना, निर्गम के मूल्यांकन, शेयरों के निर्धारण में सहयोग देना तथा बिक्री पश्चात सहायता प्रदान करना आदि।

(vii) "आईपीओ" से संबंधित अन्य सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।

(viii) "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" का उत्तरदायित्व लेना।

(ix) सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थों के चयन में सहायता प्रदान करना तथा सभी मध्यस्थों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

(x) प्रकाशन हेतु वैधानिक विज्ञापनों को तैयार तथा अनुमोदित करना। विज्ञापन तैयार करने के खर्च का वहन बीआरएलएम द्वारा तथा इसके प्रकाशन के खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

(xi) घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय-दोनों प्रकार के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना। इस संबंध में सरकार तथा एमएसटीसी लि. के अधिकारियों के दौरों पर आए खर्च को छोड़कर सभी खर्चों का वहन बीआरएलएम द्वारा किया जाएगा।

(xii) कंपनी तथा सरकार को " आईपीओ" के समय तथा उसकी पद्धतियों के बारे में सलाह देना।

(xiii) सरकार को सर्वोत्तम प्रतिलाभ सुनिश्चित करना।

(xiv) "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" के लिए आवश्यक स्टेशनरी के मुद्रण एवं वितरण के कार्यभार को ग्रहण करना , जैसा कि **अनुबंध-I** में दिया गया है। बीआरएलएम यह सुनिश्चित करेंगे कि मुद्रित स्टेशनरी पर्याप्त मात्रा में हो और केन्द्रों /पार्टियों को समय पूर्व उपलब्ध हो। नियुक्त बीआरएलएम को सब श्रेणियों को मिलाकर कम से **कम 5 लाख आवेदन फार्म** मुद्रित करेंगे। इस संबंधी में पायी गयी किसी कमी को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में सभी खर्च का वहन बीआरएलएम द्वारा किया जाएगा।

(xv) बीआरएलएम द्वारा निम्नलिखित सांविधिक शुल्क का, जहां लागू हो, बातचीत द्वारा तय उद्धरण प्राप्त करने के बाद भुगतान किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के अनुसार इनवाइस के विरूद्ध कंपनी/भारत सरकार द्वारा की जाएगी :

i. फाइलिंग शुल्क के रूप में सेबी को देय शुल्क।
ii. बुक बिल्डिंग हेतु सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए एनएसई और बीएसई को भुगतान।
iii. न्यासधारी अथवा न्यासधारी प्रतिभागियों को किया जाने वाला अपेक्षित भुगतान।
iv. आरंभिक कार्रवाई, फाइलिंग और सीएसएल के शेयरों के सूचीकरण के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाने वाला अपेक्षित भुगतान।

नोटः उपर्युक्त व्यय वित्तीय बोली में शामिल किया आना आवश्यक है।

(xvi) दीपम की वेबसाइट www.dipam.gov.in पर उपलब्ध आदर्श करारों के आधार पर, आवश्यक करार करना जैसे-पेशकश करार, हामीदारी करार, सिंडिकेट करार, रजिस्ट्रार के साथ करार, विज्ञापन एजेंसी करार तथा एस्क्रो करार।

(xvii) निर्गम पश्चात उन सभी संबंधित कार्रवाईयों को पूरा करना जो सेबी के विनियमों के नियमों में निर्धारित हैं।

(xviii) आईपीओ से संबंधित अन्य यथापेक्षित सहयोग प्रदान करना।

टिप्पणी :

(क) निर्गम के बैंकरों, निर्गम के रजिस्ट्रार विधिक सलाहकारों-घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय, लेखापरीक्षक तथा विज्ञापन एजेंसी/जन संपर्क एजेंसी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी जो इन मध्यस्थों पर हुए खर्चों का वहन भी करेगी।

(ख) केवल सरकारी अधिकारियों तथा भारतीय रेल वित्त निगम के अधिकारियों के दौरों पर हुए खर्च का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक पेशकश को आवेदन फार्मों के मुद्रण के पश्चात आस्थगित करने का निर्णय लेने की स्थिति में, सरकार मात्र आवेदन फार्मों के मुद्रण की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और वितरण लागत की नहीं। इसके अतिरिक्त, पेशकश के आस्थगन के कारण यदि फाइलिंग शुल्का का भुगतान पुनः करना अपेक्षित होने की स्थिति में , सरकार बीआरएलएम द्वारा भुगतान किए गए आरंभिक फाइलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3.2 सरकार द्वारा सार्वजनिक पेशकश में आवश्यक अनुभव प्राप्त **2 (दो) मर्चेन्ट बैंकरों** का चयन एवं नियुक्ति की जाएगी जो एक साथ मिलकर एक टीम बनेंगे एवं बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के नाम से जाने जाएगें। बीआरएलएम, कंपनी और सरकार के परामर्श से एक सिंडिकेट बनाएंगे जैसा सेबी के दिशा-निर्देशों/विनियमों के तहत आवश्यक है। सरकार के पास विकल्प होगा कि यदि वह आवश्यक समझे, तो वह अतिरिक्त सिंडिकेट सदस्य(सदस्यों) की नियुक्ति कर सकती है।

4. <u>जवाबदेही</u>

सरकार को सर्वोत्तम प्रतिफल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चयनित बैंकरों को उपर्युक्त खंड 3 में सूचीबद्ध उत्तरदायित्वों से उभरने वाली निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगाः-

4.1 नियुक्ति पत्र जारी करने की तारीख से 14 (चौदह) दिन के अंदर प्रत्येक मर्चेंट बैंकर द्वारा दीपम के संबंधित अधिकारी को निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत की जाएगी :-

(क) घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के निवेशकों की अलग-अलग सूची (जिसमें नाम तथा पता दर्शाया गया हो) जिनसे आईपीओ के लिए चयनित बैंकरों में से प्रत्येक को अलग -अलग संपर्क किया जाएगा;

(ख) आईपीओ के संबंध में मर्चेंट बैंकरों और /या उनके सहयोगियों के बीच उत्तरदायित्वों के पारस्परिक निर्धारण का ब्यौरा। चयनित बैंकरों द्वारा प्रस्तुत पारस्परिक निर्धारण का मूल्यांकन दीपम द्वारा किया जाएगा और उन्हें कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं और पारस्परिक निर्धारण द्वारा प्रस्तुत करना होगा। संशोधित पारस्परिक निर्धारण , दीपम के साथ पारस्परिक निर्धारण में किए गए संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद दो दिन के अंदर दीपम को प्रस्तुत करना होगा। दीपम द्वारा औपचारिक स्वीकृति के बाद संशोधित पारस्परिक निर्धारण अंतिम और बाध्यकारी पारस्परिक निर्धारण कार्रवाई बन जाएगी , जिसका मर्चेंट बैंकर को कार्यान्वयन करना होगा;

(ग) खुदरा निवेशकों तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत रणनीति ताकि आईपीओ में खुदरा भागीदारी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके;

(घ) उल्लिखित आईपीओ के संबंध में मर्चेंट बैंकर के रूप में चयनित बैंकरों के प्रत्येक उत्तरदायित्व और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित "एक कार्य योजना " जिसमें नीचे विनिर्दिष्ट सभी कार्य शामिल होंगे , लेकिन जो यहीं तक सीमित नहीं होंगे। चयनित बैंकरों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना का दीपम द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं और योजना दोबारा प्रस्तुत करनी होगी। संशोधित कार्य योजना , दीपम के साथ कार्य योजना में किए गए संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद दो दिन के

अंदर दीपम को प्रस्तुत करनी होगी। दीपम द्वारा औपचारिक स्वीकृति के बाद संशोधित कार्य योजना अंतिम और बाध्यकारी कार्य योजना बन जाएगी , जिसका मर्चेंट बैंकर को कार्यान्वयन करना होगा।

4.2 चयनित बैंकरों को अंतिम कार्य योजना (जैसा ऊपर संदर्भित है) के संबंध में की गई प्रगति और कार्यवाई अवधि के दौरान किए गए कार्यों (की गई अनुवर्ती कार्रवाई सहित) के बारे में नियमित जानकारी, जैसा दीपम द्वारा निर्णय किया जाए, दी जानी और इस जानकारी के दिए जाने के दिन के बाद की अवधि के लिए कार्रवाई योजना की जानकारी देनी होगी।

4.3 चयनित बैंकरों को घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ बैठकों के बाद संभावित मात्रा तथा अंतिम बातचीत पर आधारित संभावित मूल्य और कोष प्रबंधकों की प्रतिक्रिया के साथ निवेशकों की बुक बिल्डिंग की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

4.4 चयनित बैंकरों को आईपीओ के लिए (आईपीओ के संबंध में अन्य कार्यों के अलावा) उपयुक्त तथा सही समय और उत्तम न्यूनतम मूल्य के संबंध में दीपम को सलाह देनी होगी।

4.5 इसके अतिरिक्त, आईपीओ के समापन के बाद , के 10 दिन के अंदर चयनित बैंकरों को दीपम द्वारा स्वीकृत अंतिम कार्य योजना पर एक स्व -मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा। दीपम द्वारा अंतिम कार्य योजना तथा चयनित बैंकरों द्वारा भेजे गए स्व -मूल्यांकन के आधार पर बैंकरों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसे भावी नियुक्तियों के लिए दीपम द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

5. <u>पात्रता</u>

5.1 बोलीदाता द्वारा **01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2018** तक की अवधि के दौरान **150 करोड़ रुपये या उससे अधिक** राशि का कम से कम **एक** घरेलू इक्विटी निर्गम (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश या बिक्री की पेशकश) संपन्न किया हुआ होना चाहिए।

5.2 सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया हेतु मर्चेन्ट बैंकरों की अर्हता हेतु दिशा-निदेश निर्धारित किए हैं जो **अनुबन्ध-III** में दिए गए हैं। उपरोक्त पैरा 5.1 में दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे दिशा-निर्देशों को पढ़ें और तदनुसार, यदि पात्र हों तो, प्रस्ताव के भाग के रूप में, निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

"हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे या हमारी किसी सहयोगी फर्म के विरूद्ध , किसी न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुनाई गयी है या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी गंभीर अपराध हेतु अभियोग नहीं चलाया गया है /प्रतिकूल आदेश नहीं दिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे विरूद्ध या हमारी किसी सहयोगी संस्था के विरूद्ध या हमारी संस्था या हमारी सहयोगी संस्था के किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निदेशक/ प्रबंधक/ कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी जांच लंबित नहीं है। यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 8 जून, 2011 के का.ज्ञा. 5/3/2011-नीति में यथा-परिभाषित, हितों का कोई टकराव आज की तिथि तक नहीं है और यदि भविष्य में ऐसा कोई हितों का टकराव उत्पन्न होता है तो हम भारत सरकार/कंपनी को इस विषय में सूचित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस समय, हम किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था (कोई कंपनी, भागीदारी, एकायत्त संस्था अथवा व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों की एसोसिएशन अथवा वैयक्तिक निकाय समेत), जो कंपनी (विनिवेश की जाने वाली) के समानांतर व्यावसाय से जुड़ी हो, को किसी ऐसे सौदे के संबंध में , जो उस सौदे की प्रकृति का हो जिसके लिए सरकार तथा/या कंपनी (विनिवेश की जाने वाली) द्वारा सलाहकार का चयन प्रस्तावित है, को सलाह नहीं दे रहे हैं या उनकी ओर से कार्य नहीं कर रहे हैं या उनके साथ किसी प्रकार से जुड़े नहीं हैं सिवाय इसके जो इसी प्रकार के कारोबार और इसी प्रकार के सौदों में हमारे द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अधिदेशों की संलग्न सूची में उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, हम यह प्रमाणित करते हैं एवं वचनबद्धता करते हैं कि सलाहकार के रूप में हमारी नियुक्ति (नियुक्ति हो जानने की स्थिति में) की तिथि से लेकर, सौदे की समाप्ति तक की अवधि में, हम सरकार/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम को, किसी अधिदेश / किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें कंपनी, भागीदारी, एकायत्त संस्था अथवा व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों की एसोसिएशन अथवा वैयक्तिक निकाय शामिल है), जो कंपनी (विनिवेशित की जाने वाली) के समानांतर व्यावसाय से जुड़ी हो, के किसी ऐसे सौदे हेतु, जिसकी प्रकृति उस सौदे की तरह है जिस सौदे के लिए हम सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, के साथ, सलाह देने के लिए या उसकी ओर से कार्य करने के लिए या उससे जुड़ने के लिए , संपन्न किए गए करार के विषय में सूचित करेंगे।"

(यह प्रमाण-पत्र, बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।)

नोट : प्रमाण पत्र की विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन न करें। स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो अलग से प्रस्तुत किया जाए।

6. <u>प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण</u> :

6.1 प्रस्ताव को निम्न निदेशों के अनुसार प्रस्तुत करना होगाः

(i) **<u>लिफाफा 1 (गैर-सीलबंद)</u>** जिसके अंदर निम्न सामग्री हो :

(क) वेतन और लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पक्ष में आहरित, नई दिल्ली में देय, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **1,00,000 रुपये (एक लाख रुपए)** का अप्रतिदाय शुल्क (<u>अनुलग्नक-1</u>)

(ख) पैरा सं. 5.2 के अनुसार प्रमाण-पत्र, जो बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो। (<u>अनुलग्नक -2</u>)

(ग) **अनुबंध-IV** में दिए गए प्रारूप में प्रमाण-पत्र (<u>अनुलग्नक-3</u>)।

(घ) प्राधिकार पत्र, जिसमें बोलीदाता के व्यक्ति को प्रस्ताव तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो (<u>अनुलग्नक-4</u>)।

(ङ) सेबी द्वारा मर्चेंट बैंकर को जारी श्रेणी-। के वैध प्रमाण-पत्र की प्रति (<u>अनुलग्नक - 5</u>); और

(च) इस आशय का पुष्टिकरण पत्र कि आप दीपम की वेबसाइट www.dipam.gov.in पर दिए गए प्रारूप में मॉडल करारों के आधार पर करार संपन्न करने के लिए सहमत हैं (<u>अनुलग्नक -6</u>)।

(ii) **<u>लिफाफा 2 (सीलबंद)</u>** जिसमें पैरा 6.4 में दिए गए प्रारूप के अनुरूप तकनीकी बोली हो, जिसे बोलीदाताओं की मौजू दगी में **03 मई, 2018 को 15.30 बजे समिति कक्ष सं . 515, दीपम, ब्लॉक-14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में** खोला जाएगा। बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि बोली खुलने के पश्चात तकनीकी बोली की सॉफ्ट प्रति निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में भेजें।

(iii) **<u>लिफाफा 3 (सीलबंद)</u>** जिसमें वित्तीय बोली हो और प्रस्तुतीकरणों के बाद केवल उन पार्टियों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त कर चुकी हों। बोलियों को, बोलीदाताओं (जो प्रस्तुतीकरण के आधार पर तकनीकी अर्हता प्राप्त कर चुके हों) की मौजूदगी में , प्रस्तुतीकरणों के तुरंत पश्चात खोला जाएगा। शर्तों के साथ प्रस्तुत की गई बोली, सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी।

6.2 प्रस्ताव **(सभी तीन लिफाफे)** की पठनीय मूल प्रतियां, जो मर्चेंट बैंकर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, **श्री प्रिय रंजन, अवर सचिव, दीपम, कक्ष सं. 203, दूसरा तल, ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को टेलीफोन नं. 011-24368736, ई-मेल priya.ranjan@nic.in पर के पास दिनांक 03.05.2018 को 1500 बजे तक जमा की जा सकती हैं।** निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के डाक/कोरियर संबंधी विलंब के लिए कंपनी/भारत सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

6.3 कंपनी/सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस प्रकार प्राप्त किसी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

6.4 <u>प्रस्ताव का प्रारूप</u> :

प्रस्तावों को निम्नलिखित खण्डों के अनुसार, विस्तृत रूप से जमा करना होगा। प्रत्येक मानदण्ड के संबंध में मर्चेंट बैंकरों के मूल्यांकन हेतु भार को प्रत्येक खण्ड के सामने दर्शाया गया है।

खण्ड (क) :

<u>सलाहकार/वैश्विक समन्वयकों के रूप में इसी प्रकार के सौदों के संचालन का अनुभव एवं क्षमताएं</u> - **(मूल्यांकन हेतु महत्व 15/100) से (01.04.2013 से 31.03.2018)**

(i) संस्था का ब्यौरा, जिसमें संभावित मर्चेंट बैंकरों (बोलीदाता) के संविधान, स्वामित्व तथा व्यावसायिक गतिविधियों का पूर्ण विवरण हो। संघ बोली के मामले में, समन्वयक फर्म, जिसके पास अधिदेश का मुख्य उत्तरदायित्व हो (Consortium Leader) तथा इसके साथ अन्य भागीदारों का ब्यौरा, प्रत्येक भागीदार से प्राप्त स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए। संघ बोलीदाता का उत्तरदायित्व 'संयुक्त' एवं 'पृथक' होगा।

नोट :

1. संघ भागीदार(रों) को श्रेणी-। का मर्चेंट बैंकर होना चाहिए और उसके/उनके पास सेबी द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाण-पत्र हो और उनके द्वारा प्रस्ताव के भाग के रूप में खंड-5.2 के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. संघ को एक पार्टी माना जाएगा तथा चयन की स्थिति में डीआरएचपी/आरएचपी/प्रोस्पेक्ट्स जैसे दस्तावेजों में केवल संघ के मुखिया के नाम का ही उल्लेख किया जाएगा।
3. एक संघ के भागीदार को, दूसरे संघ के भागीदार के रूप में, बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म तथा प्रत्येक संघ भागीदार, यदि लागू हो, की पिछले तीन वर्षों की विस्तृत वार्षिक रिपोर्टें या लेखापरीक्षित वित्तीय लेखे।

(iii) लंबित मुकदमा या आकस्मिक देयता , यदि कोई हो, तो इसका पूर्ण उल्लेख किया जाए। प्रर्वतकों/भागीदारों, निदेशकों आदि के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि और लंबित मुकदमों, यदि कोई हो, का विस्तृत विवरण तथा संभाव्य हितों के टकराव के क्षेत्रों को भी दर्शाया जाए।

नोटः संघ के मामले में प्रत्येक प्रस्तावित भागीदार का इसी प्रकार का ब्यौरा अपेक्षित होगा।

(iv) **150 करोड़ अथवा उससे बड़े आकार के निर्गमों** के संबंध में बीआरएलएम के रूप में प्रबंधित घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय इक्विटी पेशकश का पूर्ण ब्यौरा, **<u>अनुबन्ध - II</u>** में दिये गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए।

(v) इक्विटी बिक्री तथा वितरण क्षमता, विशेषकर भारतीय निर्गमों, एशियाई इक्विटी तथा वैश्विक इक्विटी की बिक्री की प्रदर्शनीय क्षमता; वितरण नेटवर्क तथा ब्रोकिंग क्षमता के साथ दर्शाई जाए।

खण्ड (ख):

<u>दीपम के साथ विगत कार्य निष्पादन (विभाग का पूर्व नाम विनिवेश विभाग)</u> **<u>(01.04.2013 से बिक्री की पेशकश या बिक्री की पेशकश के साथ नए निर्गम में)</u>**

(मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)

(i) मर्चेन्ट बैंकर का मूल्यांकन, विभिन्न निर्गमों में आवेदनों की संख्या तथा उनके द्वारा जुटाई गई निर्गम राशि, जिसमें दीपम ने भी भारत सरकार की शेयरधारिता का विनिवेश किया हो, के आधार पर किया जाएगा।

(ii) डील टीम की गुणवत्ता तथा सौदों के दौरान उत्पन्न मामलों को निपटाने की क्षमता।

(iii) डील टीम की विनियामक ढांचे की समझ तथा विभाग/कंपनी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की समयबद्धता तथा गुणवत्ता।

खण्ड (ग):

<u>क्षेत्र विशेषज्ञता, अनुभव और एमएसटीसी की समझ</u> - **(मूल्यांकन हेतु महत्व 20/100)**

(i) व्यापार और ई-कॉमर्स के क्षेत्र, उक्त क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में किए गए कार्य दर्शाएं - जैसे कि किया गया अध्ययन या अनुसंधान।

(ii) एमएसटीसी लि. सहित, व्यापार और ई-कॉमर्स परियोजनाओं, उक्त क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में अपनी सुदृढ़ता/विशेषज्ञता, यदि कोई हो, दर्शाए।

(iii) एमएसटीसी लि. सहित, व्यापार और ई-कॉमर्स परियोजनाओं, उक्त क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में **01.04.2013 से 31.03.2018** तक संपन्न की गई सार्वजनिक पेशकशें।

(iv) एमएसटीसी लि. सहित, व्यापार और ई-कॉमर्स परियोजनाओं, उक्त क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं के क्षेत्र में संचालन कार्य कर रही कम्पनियों पर तैयार की गई अनुसंधान रिपोर्टें।

(v) एमएसटीसी लि. का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण।

खण्ड (घ):

<u>डील टीम की योग्यता तथा सौदे के लिये मानव शक्ति की प्रतिबद्धता</u> - **(मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)**

मुख्य टीम **(कोर टीम),** जो प्रस्तावित निर्गम को संचालित करेगी, का विस्तृत विवरण, संस्था में उनका दर्जा, उनकी पृष्ठभूमि, योग्यता, अनुभव एवं वर्तमान पता, दूरभाष संख्या - कार्यालय, निवास, मोबाइल, ईमेल आदि-व्यवहारिक अनुभव का विवरण दिया जाए। **पर्यवेक्षी टीम** का भी इसी प्रकार का विवरण अलग से दिया जाए।

अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले अन्य पेशेवरों का विवरण अलग से दिया जाए।

इस संबंध में एक शपथपत्र भी दिया जाए कि यदि प्रक्रिया के दौरान मुख्य टीम का कोई भी सदस्य, त्याग पत्र देने आदि के कारण उपलब्ध नहीं रहता है, तो सरकार की सहमति से समान योग्यता और अनुभव वाला दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा।

खण्ड (ड.) :

<u>बाजार रणनीति एवं निर्गम-पश्चात् बाजार सहयोग</u> - **(मूल्यांकन हेतु महत्व 15/100)**

(i) मांग की गुणवत्ता तथा मात्रा को अधिकतम बनाने हेतु सुझाया गया इष्टतम संघ (सिंडिकेट) ढांचा।
(ii) सिंडिकेट के प्रोत्साहन हेतु प्रस्ताव।
(iii) विपणन-पूर्व रणनीति।
(iv) प्रस्तावित प्रचार-प्रसार का स्थान तथा उपरोक्त स्थान का सुझाव देने के कारण तथा बीआरएलएम के प्रतिनिधियों का स्तर जो घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार में जाएंगे।
(v) मांग विश्लेषण तथा मांग पर प्रभाव डालने वाले पहलू।
(vi) शेयर के विपणन हेतु रणनीति तथा लक्षित निवेशक समूहों की पहचान।
(vii) प्रतिबद्धता (एं) जो प्रस्तावित "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" में आपके संलिप्त होने पर बाधा अथवा हित टकराव के रुप में सामने आएंगी।
(viii) विगत में भारतीय निर्गम प्रबंधन के विशेष संदर्भ में पश्च-बाजार सहायता प्रदान करने की क्षमता।
(ix) पेशकश के विपणन हेतु मुख्य बिक्री बिन्दुओं की पहचान।
(x) "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" के मूल्य निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली मूल्य निर्धारण पद्धति का विवरण।
(xi) उत्तरदायित्व क्षमता जिसमें उस उत्तरदायित्व के समर्थन में उपलब्ध निवेशक बैंक का पूंजी आधार, विगत उत्तरदायित्व प्रतिबद्धता तथा अनुभव का रिकार्ड सम्मिलित हो। उन उत्तरदायित्व संबंधी प्रतिबद्धताओं (कठिन उत्तरदायित्व समेत) का विवरण जिन्हें पूरा नहीं किया जा सका हो।

(xii) प्रस्तावित "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" को आरंभ करने हेतु वास्तविक समय-सारणी दर्शाए जिसमें इस प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का अलग-अलग समय दिया गया हो।

खण्ड (च):

<u>स्थानीय उपस्थिति तथा भारत के प्रति प्रतिबद्धता तथा फुटकर निवेशक भागीदारी आकर्षित करने की क्षमता</u> - **(मूल्यांकन हेतु महत्व 15/100)**

गुणात्मक तथा मात्रात्मक, दोनों के आधार पर, विशेषकर अनुसंधान टीम तथा उपलब्ध आधारभूत संरचना के संदर्भ में, बोलीदाताओं की भारत में उपस्थिति को प्रमाणित करने हेतु एक संक्षिप्त नोट दिया जाए। विवरण में निवेश बैंकिंग (इक्विटी सेगमेंट) में नियोजित श्रमशक्ति, भारत में कार्यालय और अन्य संबंधित सूचना शामिल होनी चाहिए। अधिकतम खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु वितरण नेटवर्क क्षमता को दर्शाया जाए।

खण्ड (छ):

<u>वैश्विक उपस्थिति तथा वितरण क्षमता</u> - **(मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)**

(i) वैश्विक नेटवर्क तथा वितरण क्षमता दर्शाएं।
(ii) **01.04.2013 से 31.03.2018** तक की अवधि के दौरान इक्विटी की सार्वजनिक पेशकश हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों से भारत में संचारित की गई निधियां।
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के साथ आपसी समझ एवं संबंध।

खण्ड (ज):

<u>अनुसंधान क्षमता</u> - **(मूल्यांकन हेतु महत्व 5/100)**

स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों द्वारा यथा-स्थापित रेटिंग के आधार पर देश, क्षेत्र, प्रांत तथा विश्व में अनुसंधान क्षमता। यह विवरण, अनुसंधान टीम की अनुसंधान क्षमता, अनुभव तथा पृष्ठभूमि के संबंध में दिया जाए ।

<u>नोट (खंड ख का संदर्भ लें) :</u>

वे मर्चेन्ट बैंकर, जिन्होंने विगत में दीपम (विभाग का पूर्व नाम विनिवेश विभाग) के साथ कोई भी कार्य नहीं किया है, उपरोक्त खण्ड 'ख' को छोड़कर सभी मापदंडों के आधार पर मूल्यांकित किये जाएंगे तथा उन्हें 100 के स्थान पर 90 में से अंक दिये जाएंगे एवं तत्पश्चात उन्हें आनुपातिक रूप से 100 के स्केल में बढ़ा दिया जाएगा ताकि वे न तो लाभ की स्थिति में हो एवं न ही नुकसान की स्थिति में।

6.5 मांगी गई उपरोक्त संपूर्ण जानकारी को, उस अतिरिक्त जानकारी के साथ, जो बोलीदाता प्रस्ताव के भाग के रूप में आवश्यक समझता हो, पैरा 6.2 में उल्लिखित अधिकारी को भेजा जाए (12 फॉन्ट साइज में अधिकतम 10 पृष्ठ)।

7. बिक्री कमीशन का भुगतान

7.1 खुदरा निवेशकों की व्यापक भागीदारी सृजित करने के लिए ब्रोकरों आदि को ब्रोकरेज के भुगतान से संबंधित व्यय का वहन भारतीय रेल वित्त निगम /सरकार द्वारा किया जाएगा। यह ब्रोकरेज, खुदरा निवेशकों को किए गए आबंटन के संबंध में 0.35%; गैर-संस्थागत निवेशकों को दिए गए आबंटन के संबंध में 0.15% और पात्र कर्मचारियों को उनके लिए आरक्षित कोटे में से किए गए आबंटन के संबंध में 0.25% होगी। पहले ब्रोकरेज का भुगतान नियुक्त बीआरएलएम द्वारा किया जाएगा और सौदे की सफल संपन्नता के पश्चात आबंटन के आधार को अंतिम रूप देने के एक माह की निर्धारित अवधि के अंदर वास्तविक भुगतान के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर ब्रोकरेज की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8. <u>बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों के चयन की प्रक्रिया (बीआरएलएमएस)</u>

8.1 अर्हताप्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं को, प्रस्तावित सौदे हेतु, **ऊपर पैरा 6.4 में निर्धारित प्रारूप** के अनुरूप अपनी योग्यताओं का प्रस्तुतीकरण अंतर-मंत्रालय समूह, नई दिल्ली के समक्ष **दीपम विभाग के समिति कक्ष, कक्ष सं. 515, ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 करना होगा। प्रस्तुतीकरण के समय की जानकारी, दीपम की वेबसाइट 'www.<u>dipam.gov</u>.in' पर, उचित समय पर डाल दी जाएगी।** मुख्य टीम का टीम लीडर ही उक्त प्रस्तुतीकरण करेगा।

8.2 बोलीदाताओं का मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण तथा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ऊपर पैरा 6.4 में दिए गए मानदंडों के आधार पर, आईपीओ समिति द्वारा किया जाएगा तथा वह उनकी वित्तीय बोली खोलने के लिए उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल उन्हीं पार्टियों को तकनीकी रूप से संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्होंने 100 में से पूर्वनिर्धारित अंक, जिसकी घोषणा प्रस्तुतीकरण से पहले कर दी जाएगी, प्राप्त किए हों।

8.3 बोलीदाताओं को, उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर संक्षिप्त सूचीबद्ध करने के पश्चात, अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा केवल संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी। संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाता, यदि वे इच्छुक हों तो, वित्तीय बोली खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय बोली खोलने से पूर्व, संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों की घोषणा की जाएगी। वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय की घोषणा प्रस्तुतीकरण के समय की जाएगी।

8.4 तकनीकी मूल्यांकन में संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों को 70 अंक की महत्ता (weightage) दी जाएगी। इसी प्रकार, संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को 30 अंक की महत्ता दी जाएगी। संयुक्त गुणवत्ता सह-लागत आधारित पद्धति के आधार पर तकनीकी एवं वित्तीय बोली के संयुक्त अंक एच 1, एच 2 तथा एच 3 एवं अन्य का निर्धारण करेंगे।

8.5 उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर सर्वाधिक अंक/प्वाइंट प्राप्त करने वाली पार्टी (एच1) को सौदे हेतु नियुक्त किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य पाए गए अन्य मर्चेंट बैंकरों, एच2, एच3 तथा इसी क्रम में अन्य को एच 1 द्वारा उद्धृत किए गए शुल्क को स्वीकार करने हेतु कहा जाएगा तथा उन पार्टियों, जो एच 1 द्वारा उद्धृत किए गए शुल्क को स्वीकार कर लें, को भी उस संख्या तक नियुक्त किया जाएगा जब तक आवश्यक संख्या में बीआरएलएम की नियुक्ति न हो जाए। भारतीय

रेल वित्त निगम, बीआरएलएम की नियुक्ति हेतु कम संख्या में बोलीदाताओं के चयन पर विचार कर सकती है।

8.6 एच1 द्वारा उद्धृत की गई शुल्क की राशि में, सभी नियुक्त बीआरएलएम बराबर के हिस्सेदार होंगे। तथापि , यदि इस आधार पर चयनित किसी बीआरएलएम ने एच 1 द्वारा उद्धृत शुल्क से कम शुल्क उद्धृत किया हो, तो उसे, उसके द्वारा उद्धृत शुल्क को सौदे हेतु नियुक्त सभी बीआरएलएम की संख्या से विभाजित कर परिकलित राशि के समान शुल्क मिलेगा। तथापि, नियुक्त बीआरएलएम द्वारा ऊपर पैरा 3.1 में दी गई मदों पर किये जाने वाले खर्चों का वहन सभी बीआरएलएम द्वारा समान रूप से किया जाएगा।

8.7 चयनित बोलीदाता, एक टीम के रूप में कार्य करेंगे और वे बीआरएलएम के नाम से जाने जाएंगे।

9. <u>वित्तीय बोली हेतु अपेक्षाएं</u>

9.1 बोलीदाता को सौदे हेतु अपना शुल्क भारतीय रुपये में (मुहरबंद लिफाफे में) उद्धृत करना होगा। बोलीदाता द्वारा उद्धृत फीस में, सभी लागू कर, उपकर, शुल्क आदि सम्मिलित होने चाहिए। <u>उद्धृत फीस, कम से कम 1.00 (एक रुपया) या 1.00 रुपए (एक रुपए) का गुणक होनी चाहिए अन्यथा वित्तीय बोली अस्वीकार कर दी जाएगी</u>**।** फीस के भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करते समय विभिन्न करों को अलग-अलग दर्शाना होगा। सभी बिलों को भारतीय रुपये में देना होगा जिसका भुगतान, सौदे की सफल एवं संतोषजनक समाप्ति पर भारतीय रुपये में ही किया जाएगा।

नोट : सभी मर्चेंट बैंकरों को, मदों, जैसेकि स्टेशनरी के मुद्रण; वैधानिक विज्ञापनों को तैयार करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन एजेंसियों/जन-संपर्क एजेंसियों से संबंधित व्यय, फाईलिंग शुल्क के रूप में सेबी को देय शुल्क; बुक बिल्डिंग हेतु सॉफ्टवेयर प्रयोग करने हेतु एनएसई एवं बीएसई को भुगतान तथा न्यासधारियों या न्यासधारी के हिस्सेदारों को शेयर अंतरण हेतु किए जाने वाले भुगतान; सरकार द्वारा अदा किए जाने वाले बिक्री कमीशन/दलाली के अतिरिक्त, मर्चेंट बैंकरों द्वारा भुगतान किए गए किसी बिक्री कमीशन/दलाली पर हुए खर्चों का अलग-अलग विवरण देना होगा। इन विवरणों को, वित्तीय बोली के साथ, इसके परिशिष्ट के रूप में, अलग कागज़ में देना होगा।

9.2 उद्धृत फीस बिना किसी शर्त के होनी चाहिए तथा उसमें मध्यस्थों पर किया जाने वाला खर्च और उपरोक्त पैरा 3.1 में दिये गए कार्यों पर होने वाला खर्च सम्मिलित होना चाहिए।

9.3 बोलीदाता ड्रॉप-डेड शुल्क, यदि कोई हो, उद्धृत कर सकते हैं जिसका भुगतान सरकार द्वारा उस स्थिति में किया जाएगा जब बोलीदाता द्वारा प्रक्रिया आरंभ कर दिए जाने के पश्चात, सरकार सौदे को रद्द कर दे। सौदे के विभिन्न चरणों पर लागू ड्रॉप डेड शुल्क अलग -अलग दर्शाया जाना चाहिए। अंतिम रुप से चयनित किसी भी बोलीदाता द्वारा उद्धृत निम्नतम ड्रॉप-डेड शुल्क को ही भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा देय ड्रॉप डेड शुल्क माना जाएगा जिसमें सभी बोलीदाताओं द्वारा समान रूप से हिस्सेदारी की जाएगी। एच 1 बोलीदाता का निर्धारण करने में ड्रॉप-डेड शुल्क कोई मापदंड नहीं होगा।

9.4 सभी बोलीदाता, विधि के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

10. <u>नियुक्ति का समापन</u>

10.1 यदि सौदे के दौरान या कार्य सौंपने से पहले किसी समय या इसके निष्पादन के बाद और इसके जारी रहते हुए या उसके बाद यह पाया जाए कि बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव हेतु अनुरोध में निर्धारित शर्तों और निबंधनों में से किसी एक या अधिक की बोलीदाता द्वारा पूर्ति नहीं की गई है या बोलीदाता ने अयथार्थ सामग्रीगत विवरण दिया है या कोई गलत या फर्जी सामग्रीगत जानकारी दी है तो बोलीदाता को, यदि उसे मर्चेंट बैंकर/बिक्रीकर्ता ब्रोकर मे नियुक्त नहीं किया गया है, तुरन्त अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और यदि चयनित बोलीदाता को पहले से ही मर्चेंट बैंकर/बिक्रीकर्ता शेयरधारक के रूप मे पहले ही नियुक्त कर लिया गया है, जैसा भी मामला हो, तो इस प्रस्ताव हेतु अनुरोध में किसी प्रतिकूल बात के रहते हुए इस करार को दीपम द्वारा चयनित बोलीदाता को लिखित में सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है और दीपम चयनित बोलीदाता के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। यह कार्रवाई किसी अन्य उस अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना होगी जो बोली दस्तावेजों के अधीन या अन्यथा दीपम के पास उपलब्ध होंगे। तथापि , करार को समाप्त करने से पहले उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर देते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें कहा गया होगा कि क्यों न उसकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाए।

10.2 इसके अलावा, उल्लिखित आईपीओ के लिए चयनित बैंकरों की नियुक्ति की अवधि के दौरान यदि किसी समय दीपम (अपने विवेकानुसार) द्वारा यह विचार किया जाए कि किसी चयनित बैंकर दीपम की संतुष्टि के अनुसार कार्यनिष्पादन नहीं कर रहे हैं तो दीपम के पास बिना कोई कारण बताए चयनित मर्चेंट बैंकर के स्थान पर किसी अन्य मर्चेंट बैंकर को नियुक्ति करने, जैसा भी दीपम द्वारा उचित समझा जाए, का अधिकार होगा।

11. गैर-प्रकटीकरण करार

11.1 चयनित बीआरएलएम को कंपनी के साथ एक गैर -प्रकटीकरण करार संपन्न करना होगा। करार संपन्न न करने पर उनकी नियुक्ति बातिल और शून्य हो जाएगी।

12. किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु **श्री प्रिय रंजन, अवर सचिव, दीपम, कक्ष सं. 203, दूसरा तल, ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को टेलीफोन नं. 011-24368736, ई-मेल** priya.ranjan@nic.in पर संपर्क करें।

अनुबंध-I

एमएसटीसी की "आरंभिक सार्वजनिक पेशकश" के लिए स्टेशनरी की संकेतात्मक सूची

क्र.सं.	**विवरण**
1.	ड्राफ्ट रेड हैरिंग प्रोस्पैक्टस
2.	ड्राफ्ट रेड हैरिंग प्रोस्पैक्टस (साधारण एवं विशेष)
3.	प्रौस्पैक्टस
4.	पुस्तिका के रुप में ज्ञापन सहित बोली-सह-आवेदन प्रपत्र (प्रवासी/गैर-प्रवासी/कर्मचारी)
5.	पोस्टर/बैनर
6.	कैन (सीएएन), रिफन्ड स्टेशनरी आदि

अनुबंध- II

घरेलू/अंतराष्ट्रीय इक्विटी पेशकशों का विवरण

मापदण्ड	**01.04.2013-31.03.2014**		**01.04.2014-31.03.2015**		**01.04.2015-31.03.2016**		**01.04.2016-31.03.2017**		**01.04.2017-31.03.2018**	
	अधिदेश	**मूल्य (करोड़ रु.)**	**अधिदेश**	**मूल्य (करोड़ रु.)**	**अधिदेश**	**मूल्य (करोड़ रु.)**	**अधिदेश**	**मूल्य (करोड़ रु.)**	**अधिदेश**	**मूल्य (करोड़ रु.)**
घरेलू इक्विटी की सार्वजनिक पेशकशें	1		1		1		1		1	
	2		2		2		2		2	
	3		3		3		3		3	
कुल										
अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी की सार्वजनिक पेशकशें	1		1		1		1		1	
	2		2		2		2		2	
	3		3		3		3		3	
कुल							1		1	
प्रचार-प्रसार से पहले या बाद में रोकी गई/वापस ली गई सार्वजनिक पेशकशें	1		1		1		2		2	
	2		2		2		3		3	
	3		3		3					
कुल										

टिप्पणी : कृपया यह दर्शाएं कि क्या उपर्युक्त के अलावा इक्विटी की किसी अन्य सार्वजनिक पेशकश के लिए भारत सरकार द्वारा आपको नियोजित किया गया था, यदि हां, तो विवरण दीजिए।

अनुबंध-III

सं. 5(3)/2011-नीति
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
दीपम

ब्लॉक संख्या 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दिनांक 08 जून, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- विनिवेश प्रक्रिया के लिए मर्चेंट बैंकरों की अर्हता के लिए दिशा - निदेश।

प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से मर्चेंट बैंकरों के चयन में जनता के विश्वास को प्रेरित करने के लिए, सरकार ने उनके चयन के मापदण्डों को परिभाषित करते हुए, व्यापक एवं पारदर्शी दिशा-निदेश तैयार किए थे। क्षेत्र अनुभव, ज्ञान, प्रतिबद्धता आदि जैसे अनेक मापदण्डों का उपयोग करने के अतिरिक्त, विनिवेश सौदों के लिए सरकार के लिए मर्चेंट बैंकरों के रूप में कार्य करने वाली पार्टियों की योग्यता/अयोग्यता के लिए अतिरिक्त मापदण्ड, दीपम द्वारा अपने दिनांक 02.05.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/3/2011-नीति के तहत निर्धारित किए गए थे।

2. इस विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में, विनिवेश सौदों के लिए मर्चेंट बैंकरों के रूप में कार्य करने वाली पार्टियों की योग्यता/अयोग्यता के लिए संशोधित मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:

(क) संबंधित मर्चेंट बैंकरों या उनकी सहायक संस्था के विरूद्ध, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा आरोप/गंभीर अपराध के लिए प्रतिकूल आदेश, उसके लिए आयोग्यता बन जाएगा। गंभीर अपराध, इस प्रकार की प्रकृति के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो समुदाय की नैतिक भावना को आघात पहुँचाता हो। अपराध की प्रकृति के विषय में निर्णय, मामले के तथ्यों एवं सरकार के संगत विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा। इसी प्रकार, सहायक संस्थाओं के बीच संबंधों के संबंध में निर्णय, संगत तथ्यों के आधार पर तथा यह जांच करने के बाद लिया जाएगा कि क्या दोनों संस्थाएं काफी हद तक एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

(ख) यदि ऐसी कोई अयोग्यता, संस्था को मर्चेंट बैंकरों के रूप में नियुक्त कर लिए जाने के बाद उत्पन्न होती है तो पार्टी, विनिवेश प्रक्रिया से स्वतः अपना नाम वापस लेने के लिए बाध्य होगी और ऐसा न करने पर, सरकार नियुक्ति/संविदा को समाप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

(ग) अयोग्यता, उतनी अवधि के लिए जारी रहेगी जो अवधि सरकार द्वारा उचित समझी जाए।

(घ) जिस संस्था को विनिवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है, उसे प्रक्रिया से संबद्ध रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी या वह केवल इस आधार पर संबद्ध नहीं हो पाएगी कि उसने उस आदेश, जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है, के विरूद्ध अपील कर दी है। अपील के लंबित रहने मात्र से अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) अयोग्यता संबंधी मापदण्ड, तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे तथा उन सभी मर्चेंट बैंकरों पर लागू होंगे, जो विभिन्न विनिवेश सौदों, जो अभी संपन्न नहीं हुए हैं, के लिए सरकार द्वारा पहले से नियुक्त किए जा चुके हैं।

(च) किसी संस्था को अयोग्य ठहराने से पूर्व, उसे एक कारण बताओ नोटिस, कि क्यों न उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जारी किया जाएगा तथा उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर दिया जाएगा।

(छ) इसके बाद, इन मापदण्डों को, मर्चेंट बैंकरों के रूप में कार्य करने वाली इच्छुक पार्टियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इच्छुक पार्टियों को इस संबंध में अपनी

ईओआई के साथ, इस आशय की एक वचनबद्धता देनी होगी कि उनके विरूद्ध किसी विनियामक प्राधिकरण की कोई जाँच लंबित नहीं है। यदि उस संस्था या उसकी सहायक संस्था के खिलाफ या सीईओ या उसके किसी निदेशक/प्रबंधक/कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच लंबित है तो उक्त जांच का पूर्ण ब्यौरा, जिसमें जांच एजेंसी का नाम, आरोप/अपराध, जिसके लिए जांच शुरू की गई है, उन व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम, जिनके खिलाफ जांच शुरू की गई है, शामिल हों एवं कोई अन्य संगत जानकारी का ब्यौरा सरकार की संतुष्टि के अनुसार प्रकट किया जाना चाहिए। किसी अन्य मापदण्डों के लिए भी , ईओआई के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता ली जाएगी। उन्हें यह वचनबद्धता भी देनी होगी कि यदि उन्हें सौदा संपन्न होने से पूर्व, किसी भी समय, विनिर्दिष्ट मापदण्डों के अनुसार अयोग्य ठहरा दिया जाए तो उन्हें इस बारे में सरकार को सूचित करना होगा तथा कार्य से स्वैच्छिक रूप में हटना होगा।

(ज) इच्छुक पार्टियों को , उसी प्रकृति के किसी सौदे , जिस प्रकृति के सौदे के लिए सरकार एवं /या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) मर्चेंट बैंकरों का चयन करने का प्रस्ताव करती है या नियुक्त कर चुकी है , के संबंध में, उन अधिदेशाधीन सौदों का खुलासा करना होगा या उनकी सूची जमा करानी होगी जो कि उस कारोबार के स्वरूप के हैं जो कि कंपनी (जिसका विनिवेश किया जा रहा हो) के हैं तथा लिखित रूप में यह पुष्टि करनी होगी कि सौदे की हैंडलिंग में मर्चेंट बैंकरों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख /उनकी नियुक्ति की तारीख को हित का कोई टकराव नहीं है और यदि भविष्य में कोई हित टकराव उत्पन्न होता है तो सलाहकार , इस बारे में तत्काल सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा है) को सूचित करेगा।

सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो), अपेक्षित एवं उचित अवसर देने के बाद , अपने विवेकाधिकार से यह निर्णय लेगी कि क्या भावी हित के टकराव का, सौदे के संबंध में, सरकार एवं कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) के हितों पर भौतिक रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उसे (सरकार/कंपनी को) मर्चेंट बैंकर को, मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करते रहने की सहमति देने या मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार होगा। विनिवेश प्रयोजनों के लिए, हित के टकराव को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिसमें मर्चेंट बैंकर द्वारा अपनी नियुक्ति के दौरान, किसी तृतीय पक्ष के सहयोजन में किसी ऐसी गतिविधि या कारोबार में संलिप्त होना शामिल है , जिससे सौदे के संबंध में भारत सरकार और /या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) के हितों पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो तथा उस सौदे के संबंध में सलाहकार के पास नियुक्ति के दौरान कोई मालिकाना हक या गोपनीय जानकारी हो या उसे प्राप्त हो सकती हो , जिसकी जानकारी, यदि मर्चेंट बैंकर के अन्य ग्राहक को हो जाए तो उसका उस ग्राहक द्वारा इस तरीके से उपयोग किया जा सके जिससे सौदे में भारत सरकार और/या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) को सामग्रीगत हानि हो सकती है।

(झ) हित का टकराव, उस स्थिति में उत्पन्न हुआ माना जाएगा यदि सौदे से संबंधित कोई मर्चेंट बैंकर , किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें कंपनी, भागीदारी, एकायत संस्था या व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है), जो कंपनी के कारोबार जैसे कारोबार में लगी हुई हो, को, उस प्रकृति के किसी सौदे के संबंध में, जिसके लिए सरकार या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) मर्चेंट बैंकर के चयन का प्रस्ताव करती है या उसकी नियुक्ति कर ली है, सलाह देने या उसकी ओर से कार्य करने या उससे सहबद्ध होने के लिए किसी तृतीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) का निर्णय, कि क्या वह अन्य व्यक्ति या संस्था विनिवेशित की जा रही कंपनी के कारोबार जैसे कारोबार में लगा हुआ है/लगी हुई है, अंतिम होगा और मर्चेंट बैंकर के लिए बाध्यकारी होगा।

(ञ) हित का टकराव, उस स्थिति में भी उत्पन्न हुआ माना जाएगा यदि किसी मर्चेंट बैंकर फर्म/संस्था का, उक्त सौदे के लंबित रहने की अवधि के दौरान, उसी विनिवेश सौदे के लिए किसी बोलीदाता फर्म/संस्था के साथ कोई व्यवसायिक या वाणिज्यिक संबंध हो। इस परिप्रेक्ष्य में मर्चेंट बैंकर फर्म एवं बोलीदाता फर्म दोनों का अर्थ भिन्न -भिन्न और अलग-अलग विधिक संस्था होगा तथा इनमें उनकी सहायक संस्था , समूह संस्था या संबद्ध संस्था आदि शामिल

नहीं होगी। व्यवसायिक या वाणिज्यिक संबंध की परिभाषा में , बोलीदाता की ओर से कार्रवाई करना या बोलीदाता के लिए किसी भी प्रकृति का कार्य करना शामिल है , चाहे वह विनिवेश सौदे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो या न हो। (यह खण्ड केवल रणनीतिक बिक्री पर लागू होता है)।

(ट) इच्छुक पार्टियों को यह सूचना देनी होगी तथा यह खुलासा करना होगा कि सौदे के संबंध में मर्चेंट बैंकर के रूप में नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख/उनकी नियुक्ति की तारीख को, वे किसी ऐसे सौदे, जो उस सौदे की प्रकृति का हो, जिस सौदे के लिए सरकार एवं/या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) मर्चेंट बैंकर के चयन का प्रस्ताव कर रही है या नियुक्त कर लिया है , के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें कंपनी, भागीदारी, एकायत संस्था या व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है), जो कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) के कारोबार जैसे कारोबार में लगा हुआ हो /लगी हुई हो, को सलाह दे रही हैं या उनकी ओर से कार्य कर रही हैं या उनसे जुड़ी हैं।

उपर्युक्त वचनबद्धता देते समय, यदि मर्चेंट बैंकर यह खुलासा करने में असफल रहता है कि वह किसी ऐसे सौदे , जो उस सौदे की प्रकृति का हो, जिस सौदे के लिए सरकार एवं/या कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) मर्चेंट बैंकर के चयन का प्रस्ताव कर रही है या नियुक्त कर लिया है , के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था , जो कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) के कारोबार जैसे कारोबार में लगी हुई हो, को सलाह दे रहा है या उसकी ओर से कार्य कर रहा है या उससे संबद्ध है तो सरकार /कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) उसकी नियुक्ति को समाप्त करने की हकदार होगी। नियुक्ति को समाप्त करने से पूर्व एक कारण बताओ नोटिस , जिसमें यह पूछा गया हो कि क्यों न उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाए, जारी किया जाएगा जिसमें उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(ठ) मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति की तारीख से लेकर सौदे की समाप्ति तक की अवधि के दौरान , मर्चेंट बैंकर किसी अधिदेश/संविदा, जो उसने किसी ऐसे सौदे, जो उस सौदे की प्रकृति का हो, जिस सौदे के लिए मर्चेंट बैंकर को मर्चेंट बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया है , के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें कंपनी, भागीदारी, एकायत संस्था या व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है), जो कंपनी के कारोबार जैसे कारोबार में लगा हुआ /लगी हुई हो, को सलाह देने या उसकी ओर से कार्य करने या उससे संबद्ध होने के लिए संपन्न की हो , से कंपनी/सरकार को अवगत कराएगा। यह प्रावधान है कि यदि सरकारी विनिवेश सौदे के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में नियुक्ति की तारीख के बाद , छह महीने या उससे अधिक समय बीत गया हो तो अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर , मर्चेंट बैंकर को सरकार /कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) द्वारा अनुमति दे दी जाएगी। इस बारे में सरकार /कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) का निर्णय अंतिम एवं मर्चेंट बैंकर के लिए बाध्यकारी होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) का इस बारे में निर्णय कि क्या उक्त अन्य व्यक्ति या संस्था , विनिवेशित की जा रही कंपनी के कारोबार जैसे कारोबार में लगा हुआ है/लगी हुई है, अंतिम होगा और मर्चेंट बैंकर के लिए बाध्यकारी होगा।

(ड) उपर्युक्त खण्ड (ट) एवं (ठ) के प्रयोजन हेतु, सौदों की 'प्रकृति' में पूंजी बाजार सौदे शामिल होंगे परंतु ये यहीं तक सीमित नहीं होंगे, जिसमें इसके अलावा शेयरों की या किसी अन्य प्रतिभूति की कोई घरेलू पेशकश , चाहे प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए हो या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के जरिए हो या अर्हताप्राप्त संस्थागत व्यवस्था के जरिए हो या आईडीआर के निर्गम के जरिए हो या किसी अन्य तरीके से हो तथा एडीआर , जीडीआर या एफसीसीबी या किसी अन्य तरीके से प्रतिभूतियों की अंतर्राष्ट्रीय पेशकश शामिल होंगी, परंतु यह यहां तक ही सीमित नहीं होगी।

(ढ) यदि मर्चेंट बैंकर, पूर्वोक्तानुसार, सरकार/कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो) से पूर्व-लिखित सहमति प्राप्त करने में असफल रहता है तो सरकार /कंपनी (जिसका विनिवेश हो रहा हो), मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति को समाप्त करने की हकदार होगी। नियुक्ति को समाप्त करने से पूर्व , मर्चेंट बैंकर को एक कारण बताओ नोटिस , जिसमें यह पूछा गया

हो कि क्यों न उसकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाए, जारी किया जाएगा, जिसमें उसे अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा।

हस्ता/-

(वी.पी.गुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24368036

प्रतिलिपिः
भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग

अनुबंध-IV

बोलीदाता के लैटरहैड पर शर्त रहित बोली का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है "आईपीओ" के माध्यम से **एमएसटीसी** के विनिवेश हेतु बीआरएलएम के रूप में नियुक्ति के लिए हमारे द्वारा उद्धृत शुल्क, दीपम की वेबसाइट पर दर्शाए गए प्रस्तावों हेतु अनुरोध में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार है और शर्तरहित है।

मोहर सहित मर्चेंट बैंकर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लिया जाए।